राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 294/2025

विकास लांबा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, राजस्थान होमगार्ड्स, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेश पुरोहित, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नलक–10) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सीमा गृह रक्षा दल, बाड़मेर से गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ामें किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक 20.02.2024 के आदेश के द्वारा पदस्थापित किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी को 2 वर्ष पूर्व ही स्थानांतरित किया गया है, जो स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के विपरीत है। उनका तर्क है कि नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में स्थानांतरण नीति बनाई

गई है, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि किसी भी राजकीय कर्मी का स्थानांतरण 2 वर्ष से पूर्व नहीं किया जाना चाहिए।

3. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत लोकहित में किया है। स्थानांतरण नीति से भी यह प्रावधान रखा गया है कि रिक्त पद भरने की आवश्यकता होने पर पदस्थापन यिका जा सकता है। अतः स्थानांतरण/पदसीापन नीति के विरूद्ध होना भी नहीं माना जा सकता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)